कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक— 2225 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक,दिसम्बर, 21— 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0,लखनऊ।

विषयः— जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अंतर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0बी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्र संख्या—2690 / 11—सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक—24.03.2022 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 1194 / मीरजापुर / 33 दिनांक 12.10.2022 एवं आपका पत्र संख्या—2038 / 11—सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक—12.10.2022 तथा प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्र सं0—1781 / रेनुकूट / 15—6 दिनांक 01.12.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक— 12.10.2022 द्वारा 05 बिन्दुओ पर इंगित की गयी कमियों का निराकरण किये जाने के निर्देश किये गये है। उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0—1922 / रेनुकूट / 15—26 दिनांक 13.12.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इंगित की गयी कमियो का निराकरण करते हुए संस्तुति सहित निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित किया है :—

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या—2690 / 11—सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक—24.03.2022 में इंगित की गयी कमियो का विवरण ।	अनुपालन की आख्या
1	2	3
1	हार्डकापी भाग—2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का पुनः उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग—2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि नवीनीकरण से संबंधित भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप मे क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण को भरने हेतु कोई कालम नही दर्शाया गया है। क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण ऑन लाईन भाग—2 के क्रम संख्या— 13(i)(ii)(iii) मे अपलोड करने हेतु प्रारूप दिया गया है जिसमे अपलोड कराते हुए संबंधित अभिलेखो को चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न किया गया है ।
2	प्रस्ताव मे संलग्न उपयुक्तता प्रमाण पत्र, पृष्ठ संख्या—53 पर संलग्नक—30 तथा प्रभागीय वनाधिकारी के DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र मे सी0ए0 का नाम, विवरण व कम्पार्टमेन्ट नम्बर संलग्न जियो रेफरेन्स मानचित्र मे उल्लेख किये गये विवरण से भिन्न है । अतः सही उपयुक्तता प्रमाण पत्र , संलग्नक—30 तथा DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वांछित अभिलेखो को संशोधित कराते हुए प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है।

3	प्रस्ताव मे संलग्न सी0ए0 स्थल का जियो रेफरेन्स मानचित्र पुनः रंगीन व मूल मे संलग्न नही किया गया है । अतः प्रस्ताव मे रंगीन जियो रेफरेन्स मानचित्र मूल मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि जियो रेफरेन्स मानचित्र रंगीन व मूल मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
4	प्रस्ताव मे सी0ए0 स्थल की टोपोशीट पर लीजेण्ड गलत अंकित है । अतः सही लीजेण्ड अंकित कर संशोधित टोपोशीट प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वांछित अभिलेखो को संशोधित कराते हुए प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है ।
5	प्रस्ताव मे संलग्न पेनड्राइव मे पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखो को पुनः अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः संशोधित प्रस्ताव की एक पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव मे अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि संशोधित पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव मे अपलोड कराते हुए पेनड्राइव की प्रति संलग्न है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रस्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या–2285 / अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–1922 / रेनुकूट / 15–26 दिनांक 13.12.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर